हिल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

सं0सं0 ई.IV.40 (विविध)/157/2023 दिनांक : 17.02.2023

परिपत्र

विषय **:** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक **4.11.2022** के निर्णय के अनुसरण में कर्मचारी पेंशन योजना**, 1995** के अंतर्गत संयुक्त विकल्प।

ईपीएफओ बनाम सुनील कुमार शीर्षक वाली 2019 की एसएलपी संख्या 8658-8659 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04 नवंबर, 2022 के आदेशों के पैरा 43 और पैरा 44 (i) और (iv) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें पात्र कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी और उसके नियोक्ता को निर्णय की तारीख से 4 महीने की अवधि के भीतर ईपीएस'95 के तत्कालीन पैरा 11 (3) और 11 (4) के तहत एक संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चूंकि अधिकांश कंपनियां संयुक्त विकल्प फॉर्म की हार्ड कॉपी ले रही हैं, जबकि ईपीएफओ इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। ईपीएफओ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि पेंशनभोगी www.epfindia.gov.in पर डिजिटल/ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्थिति से निपटने और हमारे कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों की सहायता के लिए, संयुक्त विकल्प फॉर्म को एचआईएल के संबंधित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और संबंधित कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी को ईपीएफओ में जमा करने के लिए वापस कर दिया जाएगा।

संयुक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि 3 मार्च, 2023 है। हालांकि, ईपीएफओ द्वारा अभी तक कोई प्रारूप/दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि विकल्प भौतिक रूप में आवश्यक होगा या ऑनलाइन अपलोड करना होगा और क्या अवैतनिक अंशदान का भुगतान विकल्प फॉर्म के साथ किया जाएगा या बाद में जमा किया जाएगा। जमा की जाने वाली राशि की गणना का सटीक सूत्र भी नहीं बताया गया है। इन परिस्थितियों में, एचआईएल द्वारा ठोस कदम उठाना संभव नहीं है।

हालाँकि, अत्यधिक सावधानी बरतते हुए, संयुक्त विकल्प फॉर्म तैयार किए गए हैं। संयुक्त विकल्प का प्रयोग करने के इच्छुक सदस्य/पूर्व सदस्य संलग्न संयुक्त विकल्प फॉर्म भरकर, मूल रूप में हार्डकॉपी अपनी संबंधित इकाइयों में जमा कर सकते हैं।

यह भी निर्णय लिया गया है कि संयुक्त विकल्प प्रपत्र को प्रमाणित करने के बाद, मूल संयुक्त विकल्प प्रपत्र संबंधित कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी को आगे की प्रस्तुति/कार्रवाई के लिए सौंप दिया जाएगा।

अस्वीकरण:

उपरोक्त पहल केवल एहतियात के तौर पर की गई है और इससे कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों को उच्च पेंशन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है और न ही यह

एचआईएल के लिए किसी भी प्रकार की कोई देयता/दायित्व बनाता है और यह इस संबंध में समय-समय पर ईपीएफओ द्वारा जारी की जाने वाली किसी भी अधिसूचना या दिशा-निर्देश के अधीन है। इसलिए, ईपीएफओ के सभी सदस्यों को इस मुद्दे से संबंधित अपडेट के लिए नियमित आधार पर ईपीएफओ वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।

(सुनील गौड़)
मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.)

वितरण:

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यालय
2. निदेशक (वित्त) का कार्यालय
3. निदेशक (विपणन) का कार्यालय
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी
5. सभी यूनिट प्रमुख
6. सभी क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय
7. नोटिस बोर्ड
8. कंपनी की वेबसाइट

संयुक्त विकल्प प्रपत्र

सेवा में

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

महोदय/महोदया,

1. अनुपालन के लिए पर्याप्त सावधानी के रूप में तथा उपरोक्त निर्णय में निर्धारित समय-सीमा को पूरा करने के लिए, हम (कर्मचारी और नियोक्ता) ईपीएस 95 के पूर्व-संशोधित पैराग्राफ 11(3) और संशोधित पैराग्राफ 11(4) के तहत आवश्यक संयुक्त विकल्प फॉर्म प्रस्तुत करते हैं, ताकि वास्तविक वेतन पर पेंशन का दावा किया जा सके, अर्थात 16-11-1995 से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ईपीएफओ द्वारा समय-समय पर तय की गई वैधानिक वेतन सीमा से अधिक या कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य के रूप में शामिल होने की तिथि से।

2. कर्मचारी(यों) का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विवरण	विवरण
1.	नाम	
2.	ईपीएस खाता संख्या/सदस्य आईडी	
3.	ईपीएफ खाता संख्या	
4.	आधार संख्या (स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें)	
5.	जन्म तिथि	
6.	यूएएन संख्या	
7.	पीपीओ संख्या (यदि कोई हो)	
8.	ईपीएस 1995 के तहत शामिल होने की तिथि	
9.	58 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि (यदि लागू हो)	
10.	पत्राचार के लिए पता	
11.	संपर्क/मोबाइल नंबर	
12.	ई-मेल आईडी	

कर्मचारी**/**पूर्व कर्मचारी द्वारा घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि एचआईएल में शामिल होने के तुरंत बाद मैं अपने वास्तविक वेतन/मजदूरी पर भविष्य निधि में योगदान दे रहा था और नियोक्ता द्वारा मेरे भविष्य निधि में ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 26 (6) के तहत समान राशि का योगदान दिया जा रहा था। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि नियोक्ता के योगदान में से वैधानिक वेतन सीमा का 8.33% यानी 5000 रुपये/6500 रुपये/15000 रुपये की राशि 16 नवंबर 1995 या शामिल होने की तिथि से जो भी बाद में हो, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए हर महीने भेजी जाती रही है।

मैं, ईपीएस 95 में शामिल होने की तारीख से लेकर आज तक/58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जैसा लागू हो, पेंशन फंड में नियोक्ता के योगदान में से अपने वास्तविक वेतन/मजदूरी का 8.33% (पेंशन फंड में पहले से ही डायवर्ट/जमा की गई राशि को समायोजित करने के बाद) डायवर्ट/जमा करने का विकल्प चुनता हूं।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि यदि इस संबंध में किसी अन्य कानूनी/प्रशासनिक औपचारिकता की आवश्यकता होगी तो मैं उसके अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ।

मैं वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के लिए चुने गए विकल्प से उत्पन्न होने वाली किसी भी वित्तीय देयता को लागू ब्याज सहित वहन करने के लिए भी तैयार रहूंगा।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर

नाम:

पीएफ खाता संख्या

<u>नियोक्ता/प्रतिष्ठान द्वारा घोषणा</u>

श्री/श्रीमती ---------- ईपीएफ खाता संख्या ----------वाले हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी हैं। उन्होंने ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 26(6) की शर्तों के अनुसार अपने वास्तविक वेतन पर भविष्य निधि में योगदान दिया है। इस प्रतिष्ठान को कोई आपत्ति नहीं है यदि उनके वास्तविक वेतन पर 8.33% की राशि योजना के प्रारंभ की दिनांक से, अर्थात 16/11/1995 से या उस तारीख से जब उनका वेतन वैधानिक सीमा से अधिक हो गया हो या योजना में शामिल होने की दिनांक से, जो भी बाद में हो, देय ब्याज के साथ-जैसा भी लागू हो, उनके भविष्य निधि खाते से उनके पेंशन फंड खाते में स्थानांतरित/जमा की जाती है।

<u>प्रतिष्ठान मुहर के साथ हस्ताक्षर</u>